



# COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

Dr. D. K. Yadav  
DEAN

Mob. No. - 7976144702

Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

क्रमांक / F / भण्डार / कृमला / 2026 / 976

दिनांक 12.01.2026

## निलामी सूचना

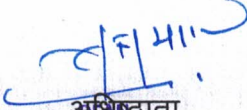
कृषि महाविद्यालय पर स्थित पोलीहाऊस को 01.02.2026 से 31.01.2027 तक किराये पर देने हेतु खुली बोली दिनांक 19.01.2026 को दोपहर 12.00 बजे अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट कार्यालय में लगाई जायेगी

### संलग्न दस्तावेज

1. पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपी
2. आधार कार्ड
3. बैंक पासबुक या कैंन्सिल चैक की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपी

### निविदा की नियम व शर्त :-

1. जिस फर्म की बोली अधिकतम आयेगी वही अनुमोदित होगी।
2. सिचाई की सुविधा महाविद्यालय से उपलब्ध होगी।
3. उपरोक्त दरें 01 फरवरी 2026 से 31 जनवरी 2027 तक मान्य रहेंगी
4. पोलीहाऊस का समस्त रखरखाव निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।
5. पोलीहाऊस में लगने वाले सभी प्रकार के आदान को वहन करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। पोलीहाऊस जिस हालत में है उसी हालत में स्वीकार किया जावेगा। कृषिकरण के दोरान लगने वाले विभिन्न प्रकार के वायर, रस्सी, धागे या अन्य किसी भी प्रकार के सामान की व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी। बोलीदाता का एक वर्ष कार्य पूर्ण होने पर पोलीहाऊस सुपूर्दगी के कार्यशाली की अवस्था में होना चाहिए।
6. बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति वर्ष) का कार्यालय में तीन समान किस्तों में जमा कराना होगा। प्रथम किस्त कार्यालय आदेश दिनांक से दस दिवस, द्वितीय किस्त प्रथम फसल की तुड़ाई के मध्य काल तथा तृतीय किस्त द्वितीय फसल की तुड़ाई के मध्य काल में जमा करानी होगी।
7. एक वर्ष कार्य पूर्ण होने पर बोलीदाता तथा महाविद्यालय की सहमती होने पर अतिरिक्त भूगतान देने के उपरान्त आगे तीन माह आगे बढ़या जा सकेगा।
8. बोलीदाता को अपना पहचान पत्र कार्यालय में जमा कराना होगा।
9. बोली लगाने से पूर्व 500 रु (Refundable) जमा करा के बोली में भाग ले सकते है।
10. बोलीदाता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
11. बोलीदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा बोलीदाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।
12. सफल बोलीदाता को पांच सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ देना होगा।
13. आवास की व्यवस्था बोलीदाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
14. किसी भी श्रमिक हानी या जोखिम या दुर्घटना की जिम्मेदारी कृषि महाविद्यालय की नहीं होगी।
15. कृषि महाविद्यालय के विधार्थीयो को पोलीहाऊस प्रायोगिक कार्य अनुमत होंगे।

  
अधिष्ठाता  
College Of Agriculture  
SKN Agriculture University, Jobner  
Lalsot (Dausa)